अपील सं.-23/2024
विपुल बनाम इन्दूबाला

फर्द अहकाम (ई)

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	क्रमांक व दिनांक पत्र जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया गया
08.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। रेस्पो0 सं0 1 द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में सभी पक्षकार के मध्य राजीनामा हो चुका है। अपीलांटान के हक में स्व0 विनोद कुमार जी द्वारा की गई वसीयत स्वअर्जित सम्पति की है तथा पूर्णतः सत्य व सही है। अतः अनवान में अपील स्वीकार की जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वादगत भूमि का नामांतरण वसीयत के आधार पर दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। रेस्पो0 सं0 1 के प्रार्थना पत्र की पहचान रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा की गई। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने स्वीकार किया कि वसीयत पैतृक सम्पति न होकर के स्वअर्जित सम्पति की है। अतः इस आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.11.2024 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस दिशानिर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 08-07-2025	